<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.</u>

<u>प्रकरण संख्या 03/2014 (बांसवाड़ा डिकी)</u>

1. श्री रूपा पिता वक्ता भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री धार जी पिता वक्ता भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. कडवा पिता वक्ता भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा (राज0)

.... अपीलान्ट्स

<u>बनाम</u>

1. श्री कमजी पिता वागजी भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
2. श्री श्यामजी पिता धीरजी भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
3. श्री गलीया पिता धीरजी भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
4. श्री हुरतेंग पिता धीरजी भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
5. श्रीमती कुॅवर बेवा धीरजी भील निवासी सेवना तहसील बागीदौरा़ जिला बांसवाड़ा (राज0)
6. श्रीमान भूमिधारी जरिये तहसीलदार बागीदौरा जिला बांसवाड़ा

.... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री उपखण्ड
अधिकारी बागीदौरा दिनांक 09–01–2014 प्रकरण
संख्या 77/2011 वाद

–––/–––

उपस्थित :–1– श्री महेन्द्र कुमार गांधी अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– राजकीय अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट संख्या–6

––––––––––––

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 13–11–2017</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी रेस्पोन्डेन्ट के विरूद्ध खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती का आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादी के पूर्वज वक्ता पिता नानीया की वादपत्र की कलम संख्या–1 वर्णित कूल आराजीयात किता–10 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा भूमि ग्राम सेवना में वादीगण के पूर्वज वक्ता पिता नानीया के नाम जमाबन्दी सम्वत् 2036–39 में दर्ज है तथा वक्ता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण संख्या 101 से उक्त भूमियां वादीगण को प्राप्त हुई। उक्त भूमि का सेटलमेन्ट के बाद नये नंबर में से वादपत्र की कलम संख्या–2 वर्णित कूल किता–7 रकबा 1.46 हैक्टर भूमि वादीगण को बिना सुने अनाधिकृत रूप से प्रतिवादी संख्या–1 से 5 के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दी गई, जो विधि विरूद्ध है। भू–प्रबन्ध विभाग को ऐसी कोई सक्षमता नहीं है। इन भूमियों के पुराने नंबर 183, 184, 210, 323, 322 है। प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज उक्त अनाधिकृत प्रविष्ठि को हटाया जाकर वादीगण को खातेदार घोषित कर उचित विधिक अनुतोष दिलवाया जाय।

प्रकरण में प्रतिवादीगणों की और से खण्डन का जवाब पेश हुआ। प्रकरण में निम्नानुसार 4 तनकीयात कायम की गई :–

1. **आया वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण के पूर्वज वक्ता पुत्र नानीया के खातेदारी व कब्जे की चरण सं.1 के अनुसार होकर विरासत से वादीगण के नाम होका मौजा सेवना में स्थित है? ......वादीगण**
2. **आया वादग्रस्त कृषि भूमि तुलनात्मक सर्वे नंबर चरण सं. 2 के अनुसार होकर बन्दोबस्ती के दौरान बन्दोबस्ती कर्मचारियों द्वारा अवैध व अनाधिकृत रूप से वादीगण की जमीन प्रतिवादी सं. 1 से 5 के नाम दर्ज रेकार्ड कर दी है ? ......वादीगण**
3. **आया भू–प्रबन्ध कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि को वादीगण को सुने बिना पुरानी प्रविष्ठी को बिना दौहराये हेराफेरी की गई है? ....वादीगण**
4. **आया वादीगण का वादग्रस्त जमीन पर कब्जा काश्त न होकर प्रतिवादीगण सं. 1 से 5 का संयुक्त कब्जा काश्त होकर बाप दादाओं के समय से काबिज है? .... प्रतिवादी सं. 1 से 5**

वादी द्वारा अपनी साक्ष्य पेश की गई। प्रतिवादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्य बन्द की गई।

उभयपक्ष की बहस सुनने के बाद अधिनस्थ न्यायाल द्वारा वादी का वाद निांक 9—1—2014 को खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 9—1—2014 से रूष्ट होकर अपीलान्ट वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 10—3—2014 को पेश की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नाटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या—1 से 5 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या—6 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर प्रकरण में गुणावगुण आधार पर निर्णय पारित करने की प्रार्थना की।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अपीलान्ट की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमों में लिखित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त किये जाने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या—1 वादी के पक्ष में निर्णय कर भूमि को वादी की पुश्तैनी होना माना है, परन्तु तनकी संख्या—2 के सम्बन्ध में भू—प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण कार्यवाही का प्रसंज्ञान लिए बिना उक्त तनकी वादी के विरूद्ध निर्णित कर दी है। इसी प्रकार तनकी संख्या—3 के सम्बन्ध में भी भू—प्रबन्ध विभाग की सक्षमता बिना निर्णय पारित किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या—4 के सम्बन्ध में भी प्रतिवादी की कोई साक्ष्य हुए बिना उनका कब्जा मानने का त्रुटिपूर्ण निर्णय किया है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या—2 के सम्बन्ध में भू—प्रबन्ध विभाग की सक्षमता व अधिकारिता का विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। सहमति के आधार पर अधिकारों का सृजन नहीं होता, जब तक कि सहमति विधिक रूप से पोषणीय नहीं हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या—2 का निर्णय विधि विरूद्ध किया गया है। इसी प्रकार तनकी संख्या—3 का निर्णय भी

तनकी संख्या–2 के अनुरूप विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–4 का निर्णय प्रतिवादी की कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद उसके पक्ष में करने की तथ्यात्मक व विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्तानुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनंक 9–1–2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि उभयपक्षकारान को पुनः सुनकर प्रकरण में हमारे उपरोक्त प्रेक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में 15–1–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–11–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....**उदयपुर** व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री मांगूलाल पिता श्री नानजी भील निवासी बोरखाबर तहसील व जिला बांसवाड़ा अन्य–1	बनाम	**श्री देवा पिता श्री रामा भील निवासी नांदरामाल तहसील बांसवाड़ा अन्य–5 व सरकार**

अपील नं0 **18 / 2015** बनाराजगी डिगरी अदालत .... **उपखण्ड अधिकारी.** ...... **घाटोल** .... मुकाम मुर्क्खे...........**13**.............. माह ....**03**............. **2015**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... **27**..... माह ......**06**.......... सन् **2017** रूबरू... पक्षकारान व हाजरी बवक्त बहस ....**श्री आर. के. जैन** .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री राजकीय अधिवक्ता** .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13–03–2015 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........**25**..... माह ...**07**........ **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील .... 2. स्टाम्प वकालत नामा...... 3. इजराय हुक्मनामा .... 4. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।